

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या :-6/वि0पत्रा0-24-08/2025

पटना, दिनांक-

सुश्री पूर्णिमा कुमारी साव, परीक्ष्यमान राज्य-कर सहायक आयुक्त (67वीं बैच), जहानाबाद अंचल, जहानाबाद को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-29.06.2025 से 15.07.2025 तक कुल 17 दिनों के उपार्जित अवकाश एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-180 एवं 236 के तहत दिनांक-16.07.2025 से 03.09.2025 तक कुल 50 दिनों का असाधारण अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित सुश्री साव के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (17-17=00) (शून्य) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(विजय कुमार)

उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/वि0पत्रा0-24-08/2025 439

/पटना, दिनांक- 03/02/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, जहानाबाद/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), जहानाबाद अंचल, जहानाबाद/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी (स्था0), एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं सुश्री पूर्णिमा कुमारी साव, परीक्ष्यमान राज्य-कर सहायक आयुक्त (67वीं बैच), जहानाबाद अंचल, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।